LATEST

NEWS

Election

Date : 17th Oct. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

राजस्थान पत्रिका

बड़गांव, शुक्रवार, 17.10.2025

बड़गांव. कस्बे में फ्लैग मार्च निकालते पुलिस के जवान।

बोहत और बड़गांव में निकाला फ्लैग मार्च

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बड़गांव. कस्बा भी अंता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अंता विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव के मध्य नजर पुलिस बल ने गांव में फ्लैग मार्च निकाला। यहां फ्लैग मार्च मुख्य बस स्टैंड से बाजार, तीन टावर के सामने वाली गली सहित मुख्य रास्तों से गुजरा। जब भी चुनाव आते हैं, हर बार पुलिस बल फ्लेग मार्च निकाल कर शांतिपूर्ण मतदान का संदेश देती है। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य से शहरों व ग्रामीण इलाकों में शांति स्थापित करना है। ताकि आमजन निडर होकर के बिना किसी के दबाव में आकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सके।

बोहत. अंता विधानसभा के उपचुनाव व दीपावली का त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को अंता पुलिस उपाधीक्षक शोजीलाल मीणा पुलिस थाना अधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस फ्लैग मार्च गोलना बस्ती से शुरू होकर मुख्य सड़क मार्ग से गुजरता हुआ बावड़ी वाले बालाजी हिंगोनिया चौराहे पर तक रहा। थानाधिकारी ने बताया कि फ्लैग मार्च में लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। लोगों से 11 नवम्बर को निर्भर होकर मतदान करने की अपील करते हुए लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने योगदान के लिए कहा गया। इसके साथ पुलिस द्वारा भटवाडा, हिंगोनिया, श्यामपुरा गांव में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला।

बोहत. कस्बे में पुलिस की ओर से निकाला गया फ्लैग मार्च। पत्रिका

राजस्थान पत्रिका
अंता, शुक्रवार, 17.10.2025

रैली में लगे नारे, 11 नवम्बर नोट करें, निर्भय होकर वोट करें

अंता @ पत्रिका. विधानसभा के 11 नवम्बर को होने वाले उपचुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को लेकर स्वीप टीम ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मार्गदर्शन में जागरुकता अभियान चलाया। इसके तहत प्रतिदिन स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदान जागरुकता लोगों में की जा रही है। गुरुवार को अंता के प्रमुख बस स्टैंडो पर एवं रेल्वे स्टेशन पर आवागमन करती सवारियों के साथ प्रेरित संवाद कर मतदान की शपथ दिलवाई गई। ब्लाक स्वीप प्रभारी के रूप में अतिरिक्त विकास अधिकारी चंद्रबदन गौतम ने भी सभी स्थानों पर उद्बोधित करते हुये जाति, धर्म, भाषा, प्रलोभन से उपर उठकर शत प्रतिशत मतदान की अपील की गई। टीम सदस्य ओम मेरौठा, व विकास मालव द्वारा वोट देना क्यों आवश्यक है, वोट की कीमत और वोट की ताकत को समझाते हुए ग्यारह नवम्बर नोट करे, निर्भय होकर वोट करें का नारा लगवा कर मतदान हेतु आम जन को प्रेरित करते हुए शपथ दिलवाई गई। साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन में सहयोगी ऐपस वोटर हेल्प, के वाई सी, सक्षम, सी विजिल एप की जानकारी दी।

राजस्थान पत्रिका

बारां, शुक्रवार, 17.10.2025

मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश

बारां @ पत्रिका. जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने अंता विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत मतदान दिवस 11 नवंबर को अंता विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार 11 नवंबर को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। साथ ही राज्य में कार्यरत विधानसभा क्षेत्र अंता के पंजीकृत मतदाताओं को मतदान करने के लिए उनके द्वारा आवेदन करने पर मतदान के लिए 11 नवंबर को संवेतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

राजस्थान पत्रिका
बारां, शुक्रवार, 17.10.2025

अगले माह 9 से 11 तक रहेगा सूखा दिवस

अंता विधानसभा क्षेत्र तथा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के तीन किमी परिधीय क्षेत्र में 9 नवंबर को शाम 6 बजे से 11 नवंबर को मतदान समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। मतगणना दिवस पर 14 नवंबर को जिला मुख्यालय के नगर परिषद क्षेत्र तथा पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केन्द्र के क्षेत्र में सूखा दिवस रहेगा।

दैनिक भास्कर

बारां, शुक्रवार, 17.10.2025

दैनिक भास्कर बारां 17-10-2025

तैयारी • मतदान जागरूकता के लिए हुए कार्यक्रम, सीविजिल समेत आदि एप की दी जानकारी

विद्यार्थियों को मतदान की शपथ दिलाई

भास्कर न्यूज़|बारां

जिले में चुनाव आयोग द्वारा अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत लगातार मतदान जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे है। गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देश एवं सीइओ व नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के मार्गदर्शन में अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान फीसदी बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत सीसवाली के माता भगवती देवी देव संस्कृति महिला कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सह प्रभारी स्वीप अमित भार्गव ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जन को मतदान की शपथ दिलाते हुए मतदान द्वारा लोकतंत्र को सशक्त करने में अपना योगदान सुनिश्चित करने की बात कही।

कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. डोली माहेश्वरी ने विद्यार्थियों को अपना पंजीयन कराने एवं मतदान दिवस पर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने की बात कही। प्रभारी भार्गव ने नव मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन, सिविजिल एवं केवाईसी एप डाउनलोड करवाया एवं अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए घर बैठे वोटर हेल्पलाइन एप या निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल पर फॉर्म 6 के तहत मतदाता सूची में पंजीयन करने एवं फॉर्म 8 से वोटर आईडी में किसी भी प्रकार के संशोधन को ऑनलाइन प्रक्रिया से करने की जानकारी दी। वहीं वीएचए द्वारा ईपिक नंबर या ईपिक पर दिए गए बार व क्यूआर कोड या अपने मोबाइल नंबर की सहायता से मतदाता सूची में अपना नाम देखने तथा अपने मतदान केंद्र का पता करने की जानकारी भी दी। सी विजिल एप द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत पर 100 मिनट के अंदर समाधान प्राप्त करने के बारे में बताया।

बारां. निर्वाचन विभाग ने मतदाता जागरूकता के तहत आयोजित कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थी।

रंगोली में संजोया जागरूकता का संदेश

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने रंगोली में निर्वाचन के ऑनलाइन एप्लीकेशन वोटर हेल्पलाइन, सी विजील एप को दर्शाते हुए तथा 11 नवंबर नोट करें निर्भय होकर वोट करें जैसे जागरूकता संबंधी नारों के साथ आमजन को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ईएलसी प्रभारी डॉ राजेंद्र प्रसाद मौर्य, सहा प्रोफेसर कुणाल गौत्तम, नरोत्तम नागर आदि मौजूद रहे।

भास्कर नॉलेज

साल 2023 में हुआ था 80.35 फीसदी मतदान

जिले के अंता में साल 2023 में हुए चुनाव में 80.35 फीसदी मतदान हुआ था। निर्वाचन विभाग के अनुसार साल 2023 में कुल 2 लाख 16 हजार 989 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें से 1 लाख 74 हजार 348 मतदाताओं ने वोट डाले। इनमें 82 हजार 459 महिलाएं व 91 हजार 887 पुरुष ने मतदान किया था।

दैनिक भास्कर
बारां, शुक्रवार, 17.10.2025

दैनिक भास्कर बारां 17-10-2025

स्वीप टीम ने शत-प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताओं को किया प्रेरित

अंता| उपचुनाव में शत-प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान तेजी पकड़ चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला स्वीप प्रभारी तथा जिला परिषद सीईओ के निर्देशन में स्वीप टीम की ओर से कस्बे सहित क्षेत्र में मतदाता जागरूकता को लेकर गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप टीम प्रतिदिन अलग-अलग स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को कस्बे के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें यात्रियों और स्थानीय नागरिकों के बीच संवाद स्थापित कर मतदान के महत्व पर चर्चा की तथा लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी की शपथ दिलवाई। ब्लॉक स्वीप प्रभारी अतिरिक्त विकास अधिकारी चंद्रवदन गौतम ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि वोट केवल अधिकार नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। सभी मतदाता जाति, धर्म, भाषा या किसी भी तरह के प्रलोभन से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस 11 नवंबर को हर मतदाता को निर्भय होकर, निष्पक्षता से मतदान करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान टीम सदस्य ओम मेरौठा, सुरभि खंडेलवाल और विकास मालव ने आमजन को वोट की ताकत, उसकी कीमत और महत्व समझाया। साथ ही मोबाइल एप्स वोटर हेल्प लाइन, केवाईसी, सक्षम और सी-विजिल की जानकारी दी।

दिशा न्यूज
बारां, शुक्रवार, 17.10.2025

मतदान अधिकारियों ने सीखा मतदान कराने का तरीका

दिशा न्यूज। बारां.

अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के अन्तर्गत गुरूवार को महिला मतदान अधिकारी, दिव्यांग मतदान अधिकारी, वीडियोग्राफर सुपरवाईजर, माइक्रो ऑब्र्जवर, सेक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

बटावदी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में चल रहे प्रशिक्षण में महिला व दिव्यांग मतदान केन्द्रों पर नियोजित होने वाले पीठासीन अधिकारियों सहित प्रथम, द्वितीय व तृतीय मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। जिन्हें मतदान से पूर्व, मतदान के दौरान व इसके पश्चात किए जाने वाले कार्यो को बारीकी से समझाया गया। उन्हें मॉक पोल, ईवीएम संचालन सहित मतदाताओं की पहचान, निर्वाचन दस्तावेजों के संधारण आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं सेक्टर अधिकारियो को आदर्श आचार की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में किए जाने वाले कार्यो के बारे में बाताया गया। वीएसटी व एसएसटी टीम के कार्मिको को भी प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के पश्चात सभी का आनलाइन टेस्ट लिया गया। प्रशिक्षण के दौरान एडीएम शाहबाद जब्बर सिंह, सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, एसीईओ हरीशचन्द्र मीणा, अधीक्षण अभियंता मनोज पूरबगोला, तहसीलदार दशरथ मीणा आदि ने प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को देखा। मास्टर ट्रेनर सुनील शर्मा व धर्मेन्द्र मेघ

दिशा न्यूज
बारां, शुक्रवार, 17.10.2025

मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश

दिशा न्यूज। बारां.

जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने अंता विधानसभा उपचुनाव के ष्टिगत मतदान दिवस 11 नवंबर को अंता विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार 11 नवंबर को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। साथ ही राज्य में कार्यरत विधानसभा क्षेत्र अंता के पंजी त मतदाताओं को मतदान करने के लिए उनके द्वारा आवेदन करने पर मतदान के लिए 11 नवंबर को संवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

रहेगा सूखा दिवस–जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र तथा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के तीन किमी परिधीय क्षेत्र में 9 नवंबर को शाम 6 बजे से 11 नवंबर को मतदान समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। मतगणना दिवस पर 14 नवंबर को जिला मुख्यालय के नगर परिषद क्षेत्र तथा पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित मतदान केन्द्र के क्षेत्र में सूखा दिवस रहेगा।

हाड़ौती संचार

बारां, शुक्रवार, 17.10.2025

अंता उपचुनाव में अब तक सात नामांकन पत्र हुए दाखिल

अंता, 16 अक्टूबर (हाडौती संचार)।

अंता उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। अब तक 7 नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव ने प्राप्त किए है। गुरुवार को 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। जिसमे नरेश मीणा व पत्नी सुनीता मीणा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि नरेश मीणा ने इसके पहले 14 अक्टूबर को भी नामांकन पत्र भर दिया था। लेकिन नियम के अनुसार एक प्रत्याशी 4 बार नामांकन पत्र भर सकता है। अब तक कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने 2, निर्दलीय प्रत्याशी धर्मवीर बैरवा 1, नरेश मीणा 2, संतोष सुमन 1, सुनीता मीणा 1 नामांकन पत्र भरे हैं। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर का अवकाश रहेगा, 23 अक्टूबर को नामांकन की संविक्षा की जाएगी। 25 व 26 अक्टूबर की अवकाश रहेगा। 24 व 27 अक्टूबर को नाम वापस लिए जाएंगे, इसी दिन प्रत्याशियों को सिंबल वितरण कर दिए जाएंगे।

अंता विधानसभा में बूथ ओर वोटर बढ़े-

अंता विधानसभा के उपचुनाव में इस बार वोटर बढ़ने के साथ बूथ भी बढ़े हैं। पिछली बार अंता विधानसभा में 247 बूथ थे। अब 21 बूथ ओर बढ़े हैं, ऐसे में अंता विधानसभा में अब कुल बूथ 268 हो चुके है। पहले 1400 वोटर का एक बूथ था। इस बार 1200 वोटर का एक बूथ है। इसी तरह से 1 अक्टूबर तक की वोटर लिस्ट के अनुसार अंता विधानसभा में 2 लाख 27 हजार 563 वोटर है, जिसमे 4 अन्य वोट भी शामिल है। जिसमें पुरुष वोटर की संख्या 1 लाख 16 हजार 405 व महिला वोटर की संख्या 1 लाख 11 हजार 154 है। वहीं वर्ष 2023 के चुनाव की बात करें तो अंता विधानसभा में 2 लाख 16 हजार 989 कुल मतदाता थे।

हाड़ौती संचार
बारां, शुक्रवार, 17.10.2025

मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश

बारां, 16 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने अंता विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत मतदान दिवस 11 नवंबर को अंता विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार 11 नवंबर को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। साथ ही राज्य में कार्यरत विधानसभा क्षेत्र अंता के पंजीकृत मतदाताओं को मतदान करने के लिए उनके द्वारा आवेदन करने पर मतदान के लिए 11 नवंबर को संवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

रहेगा सूखा दिवस-जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र तथा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के तीन किमी परिधीय क्षेत्र में 9 नवंबर को शाम 6 बजे से 11 नवंबर को मतदान समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।

indian express

AFFIDAVIT IN SUPREME COURT

Communal charge, bid to stop pan-India SIR: EC on pleas against exercise

ANANTHAKRISHNAN G
NEW DELHI, OCTOBER 16

STATING THAT its Special Intensive Revision (SIR) of the voter list in Bihar was "accurate", the Election Commission of India (ECI) Thursday described as "communal" the charge that Muslims were disproportionately excluded from the final list at the end of the SIR exercise.

It said the objective of the petitioners was to "derail and disrupt the SIR exercise and the formulation of final electoral roll for the State of Bihar, and to prevent SIR being conducted in other States across India".

In an affidavit filed before a Supreme Court bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi, which is hearing petitions challenging the SIR, the ECI said that

CONTINUED ON PAGE 2

indian express

• EC on SIR

claims have been made on the basis of "some software for name recognition" but the fact is that the electoral rolls do not capture the religion of any elector.

It said that though no appeal has yet been filed against exclusion of anyone from the final list, "petitioners have sought to allege that there is disproportionate exclusion of Muslims (25% amongst 65 lakh excluded voters from the Draft Electoral Roll, and 34% amongst 3.66 lakh electors finally deleted). This is based on some software for name recognition whose authenticity, accuracy or appropriateness cannot be commented upon. This communal approach is to be deprecated. Electoral Rolls database does not capture any information on religion of any elector."

Petitioners like NGO Association for Democratic Rights and activist Yogendra Yadav had alleged that there was disproportionate exclusion of Muslims in the final list and the exercise had led to exclusion of 81 lakh voters.

In its response, the ECI said that figures cited by the petitioners themselves "indicate that up till 2022, the number of voters were more than the projected total population and that justifies the exercise of SIR undertaken by" it "after a lapse of more than twenty-two (22) years since the previous SIR conducted in 2003".

It said "more importantly, the stress on the figures pertaining to 2025 to indicate 81 lakh missing voters is fallacious for more than one reason. Firstly, for inexplicable reasons, the figures purportedly have been taken from the Technical Group on Population Projections 2019. There are such reports for subsequent years available. Without going into this aspect, it is not informed to this Hon'ble Court by the petitioners that the population projection is based on some formulation regarding subsequent yearly projections in the Census of 2011. The report of the Technical Group for July 2020 contains an important caveat that "population projection" is "conditioned by certain assumptions using past data".

The ECI said that given the summary findings of the report of the Technical Group, "these population projections based on the 2011 census cannot be used for adjudging the accuracy of the Final Electoral Roll".

It also flagged the limited contribution of political parties and public-spirited individuals and organisations in finalising the roll.

It said "finalisation of electoral roll involves an interplay of all stakeholders and the SIR is founded on this core principle. While it is the duty of the Electoral Registration Officers (EROs) to finalise the electoral roll accurately, it is equally the duty of the electors and the contending political parties, particularly the recognised political parties, to actively participate in ensuring that the final electoral roll is as inclusive and accurate as possible. The various Notes presented the ECI to this Hon'ble Court indicates that barring appointment of Booth Level Agents, the political parties and public-spirited individuals and organisations made no substantial contribution in ensuring that all the eligible electors were included in the Final Electoral Roll. The approach of the political parties and the petitioners has been to accuse the ECI and attempt to point out errors in the SIR exercise."

"In contrast, the ECI not only appointed more than 90,000 BLOs, but also involved the political parties and got BLAs appointed. The exercise was conducted on an H2H (House to House) basis involving more than one visit. All relevant data was uploaded on the websites. Additionally, whatever directions given by this Hon'ble Court was also complied with. This Court also enabled the assistance of the State Legal Services Authority, yet the number of objections and correction applications were minimal. This indicates that the SIR exercise was accurate," it said.

On Thursday, the petitioners urged the bench to direct the ECI to publish the names of those added or deleted from the main list. The court recorded the ECI's submission that it was in the process of publishing the same. "We have no doubt that they will

epaper.indianexpress.com

toi

EC accuses ADR of mala fide motive to disrupt SIR

New Delhi: Election Commission told Supreme Court Thursday that NGO Association for Democratic Reforms and Yogendra Yadav had filed petitions with "ulterior and mala fide motives" to disrupt the special intensive revision in Bihar and create a narrative suiting the electoral interests of political parties, **reports Dhananjay Mahapatra**.

▶**Continued on P 18**

IN THE COURTS

- SC says courts should invoke their power to **direct CBI probe as last resort** in exceptional cases
- SC dismisses Telangana govt **plea against HC stay on 42% BC quota** in local polls
- SC stays T'gana HC order **allowing arrest of 2 journalists** despite bail

P 12

toi

Supreme Court rules out intervention in electoral rolls

▶**Continued from P 1**

EC made the charge on a day when the court virtually ruled out intervention in the electoral rolls prepared after SIR.

Appearing for EC, advocate Rakesh Dwivedi told a bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi that every time the court asked Yadav and ADR to provide instances of irregularities and discrepancies, they made wrong and misleading oral submissions to "take the court for a ride" and furnished factually wrong instances.

Advocate Prashant Bhushan accused EC of conducting one of the most opaque and exclusionary SIR exercises, but the bench said it will determine the validity of SIR after hearing the petitioners and EC on Nov 4, i.e. after the finalisation and freezing of voter lists for the two-phase polls.

This means there will be no interference by SC in the SIR-pruned voter list from which about 70 lakh names were deleted (65 lakh deleted in draft and another 3.7 lakh from final list) owing to death of voters, permanent shifting out of state or names appearing in multiple constituencies. EC said the final list will be uploaded on its website Oct 20 or 21.

rashtradoot

सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से बिहार मतदाता सूची को दोबारा प्रकाशित करने को कहा

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में गुरुवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि चुनाव आयोग टाइपोग्राफिकल त्रुटियों और अन्य गलतियों की जाँच के साथ सुधारात्मक उपाय करते हुए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ कहा कि वह बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) से संबंधित कानूनी मुद्दों पर चार नवंबर को सुनवाई करेगी।

पीठ के समक्ष चुनाव आयोग ने कहा कि 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से किसी भी मतदाता द्वारा नाम हटाने के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की गई है। आयोग ने दावा किया कि बिहार एसआईआर प्रक्रिया "सटीक" थी और याचिकाकर्ता राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन इस प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए केवल "झूठे आरोप" लगाने से संतुष्ट हैं। गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि एक मतदाता द्वारा यह दावा किए जाने का विवरण कि उसका नाम अंतिम सूची में नहीं जोड़ा गया था, सच है।